

न्यायालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं०-1176/2026

सुधांशु कुमार उर्फ बाबला बनाम बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड सं०-30/2025

अंतर्गत धारा-126(2), 115(2), 308(3), 352, 110, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 66(बी), 66(सी), 67 आईटी0 एक्ट।

06.05.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया है कि आवेदक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहता है, इसलिए आवेदक सुधांशु उर्म बाबला उम्र-24 वर्ष पेसर-उमा शंकर महातो उर्फ उमेश महातो के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं०-1176/2026 वापस लिये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।